न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 66 / 2021 GCMS No 2021 / 154
दायरा तिथि : 06.08.2021
फैसला तिथि : 14-9-2021
प्रार्थी:–
दीव भरत राठौड पुत्र वक्तावरमलजी राठौड जाति जैन
निवासी नीवकुज कुंथुनाथ कॉलोनी खिमेल रोड रानी
तहसील रानी जिला पाली (राजस्थान)
हाल गणेश सिनेमा सी–602 गुन्देशा गार्डन
डी खमकार मार्ग लालबाग परेल मुम्बई

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:–

1. श्री दिग्विजयसिंह कुम्पावत .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 14-9-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम खीमेल तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1827 / 1019 रकबा 0.3544 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम दीप भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 25.09.2020 की प्रतियाँ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **दीप भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि बेचान रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने से होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम दीप भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** के स्थान पर **दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री दिग्विजयसिंह ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज बेचान रजिस्ट्री की नकल पेश कर दी है। नामान्तरकरण बेचान रजिस्ट्री के अनुसार नही भरा गया बेचान रजिस्ट्री में नाम **दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम ग्राम खीमेल तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1827 / 1019 रकबा 0.3544 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम दीप भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम दीव भरत राठौड पुत्र बख्तावरमल राठौड शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खीमेल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 14-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner